रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
29
GOVT. OF INDIA

सं० 218] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 1976/कार्तिक 29, 1898

No. 218] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 1976/KARTIKA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th November 1976

SUBJECT.—*Facilities to export-oriented industries for the import of machinery.*

No. 114-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the Press Note dated 30th September and 25th October, 1976 issued by the Ministry of Industry, announcing Government's decisions to liberalise import of capital goods by export-oriented industries.

2. It has been decided that industrial undertakings which have been exporting more than 20 per cent of their total production during the past three years and undertake to continue to export more than 20 per cent of their total enhanced production for the next five years, will be allowed to import machinery freely upto a total value of Rs. 1 crore in a year. This is, however, subject to the condition that where an industrial undertaking has been licensed with an initial export obligation of higher than 20 per cent they will have to maintain that higher level of exports and give an undertaking to that effect.

3. Installation of imported machinery under this facility is likely to result in increased productive capacity of the industrial undertaking. If in respect of any item such capacity is likely to exceed by 25 per cent or more of its licensed capacity as a direct consequence of the import of equipment under the aforesaid liberalised policy, it will be necessary for the industrial undertaking to get its industrial licence endorsed for higher capacity. Where the capacity is not likely to exceed by 25 per cent of its licensed capacity, the endorsement of industrial licence for higher capacity will not be necessary.

4. The procedure to be followed for submission of applications for obtaining import licences according to the above-mentioned decision of Government will be as follows :

Intending applicants should submit applications to the Chief Controller of Imports and Exports (C.G. Cell) in the form and with enclosures prescribed for applications for import of capital goods, that is to say, in Form 'E' (CG), giving all the required information/documents. In addition, the following should be furnished:—

(i) Full details of the goods to be imported including the origin of goods. If a number of items are to be imported, a detailed list (7 copies) should be attached.

(ii) Documentary evidence in the nature of industrial licence duly endorsed for higher capacity, in case the productive capacity of the industrial undertaking in respect of any item is likely to exceed by 25 per cent or more of its licensed capacity, as a direct consequence of the import of the equipment.

(iii) Certificate from a Chartered Accountant certifying the total production and exports (year-wise) during the past three years.

(iv) Declaration about the import licence(s) already applied for/obtained during the year in question in terms of this liberalised policy.

(v) Declaration to the effect that the machinery to be imported will be used for the manufacture of end-products for which the applicant is licensed or registered, or which he is otherwise permitted to manufacture.

(vi) An undertaking to continue to export annually more than 20 per cent of its total enhanced production for the next five years. Where the industrial undertaking has been licensed with an initial export obligation of more than 20 per cent, the declaration should specify that the higher level of exports would be maintained. It should also be indicated whether the party will execute a bond with bank guarantee or a legal agreement in fulfilment of the future export obligations.

(vii) Information may be given whether the applicant desires to avail of the foreign exchange loan facilities from one of the term financial institutions, *viz.* IDBI, ICICI, IFCI and/or the State financial corporations. If such institutions have already approved of such arrangements, a copy of the approval may be attached.

5. Import of items which are not normally permissible under the existing import policy will be allowed under this liberalised policy. Applications will be considered either against free foreign exchange, foreign exchange loans/sub-allocations from term financial institutions or bilateral credits. In considering these applications, the procedures of scrutiny from the angle of indigenous availability and clearance of Capital goods committee will be dispensed with.

6. It is clarified that the capital goods so imported would be required to be actually installed in the industrial undertaking and will not be transferred to other parties.

7. It is also notified for the information of the trade that the balance requirements of such export-oriented industrial units for the import of capital goods, in excess of the prescribed limit of Rs. 1 crore in a year, if any, will continue to be considered, as hitherto, in terms of the existing import policy.

8. The existing provisions contained in Chapters VI to VIII of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1976-77 may be deemed to have been amended accordingly.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1976

विषय.—मशीनरी के आयात के लिए निर्यात अभिमुख उद्योगों के लिए सुविधाएं।

संख्या 114-आई टी सी (पी एन)/76.—उद्योग मंत्रालय द्वारा 30 सितम्बर, 1976 और 25 अक्तूबर, 1976 को जारी किए गए प्रेस नोट की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें निर्यात-अभिमुख उद्योगों द्वारा पूंजीगत माल के उदार आयात के लिए सरकार के निर्णयों की घोषणा की गई थी।

2. यह निश्चय किया गया है कि वे औद्योगिक संस्थान गत तीन वर्षों के दौरान अपने कुल उत्पादन का 20% से अधिक का निर्यात करते रहे हैं और आगे के पांच वर्षों के लिए अपने कुल बढ़ाए उत्पाद का 20% से ज्यादा का निर्यात करते रहने का वचन देते हैं तो उन्हें एक करोड़ रुपए के कुल मूल्य तक की मशीनरी का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह इस शर्त के अधीन है कि जहां पर एक औद्योगिक संस्थान को 20% से ज्यादा के प्रारंभिक निर्यात आभार के साथ लाइसेंस प्रदान किया गया है तो उन्हें निर्यात के इस उच्च स्तर को बनाए रखना होगा और इस संबंध में उन्हें एक वचन पत्र देना होगा।

3. इस सुविधा के अन्तर्गत आयातित मशीनरी की स्थापना से औद्योगिक संस्थान की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की सम्भावना है। यदि उपर्युक्त उदार नीति के अन्तर्गत उपस्कर के आयात के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप किसी मद के संबंध में इसकी लाइसेंस क्षमता से 25% या इससे अधिक की इस प्रकार की क्षमता की वृद्धि होने की संभावना है तो औद्योगिक संस्थान के लिए यह आवश्यक होगा कि उच्च क्षमता के लिए पृष्ठांकित औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करें। जहां पर इसके लाइसेंस क्षमता के 25% से अधिक की क्षमता की संभावना नहीं है तो उच्च क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस के पृष्ठांकन की जरूरत नहीं होगी।

4. सरकार के उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अपनाई जाने वाली क्रिया विधि निम्न प्रकार से होगी :—

इच्छुक आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदन पत्र पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक के साथ अर्थात प्रपत्र "ई" (पूंजीगत माल) में सभी अपेक्षित सूचना/प्रलेख देते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (पूंजीगत माल से) उद्योग भवन, नई दिल्ली को करें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी भेजे जाने चाहिए :—

(1) (1) माल के उद्गम के साथ आयात किए जाने वाले माल का पूर्ण ब्यौरा। यदि बहुत सी मदों का आयात किया जाता है तो एक विस्तृत सूची (7 प्रतियों में) संलग्न की जानी चाहिए।

(2) उपस्कर के आयात के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप किसी मद के संबंध में इसकी लाइसेंस क्षमता के 25% या इससे अधिक की वृद्धि की संभावना है तो औद्योगिक संस्थान की उत्पादन क्षमता के मामले में उच्च क्षमता के लिए विधिवत् पृष्ठांकित औद्योगिक लाइसेंस की प्रकृति के अनुसार प्रलेखीय साक्ष्य।

(3) गत तीन वर्षों के दौरान के कुल उत्पादन एवं निर्यातों (वर्ष-वार) को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र।

(4) इस उदार नीति की शर्तों के अनुसार विषयाधीन वर्ष में आयात लाइसेंस (सों) के लिए पहले ही किए गए आवेदन/प्राप्त कर लिए गए के संबंध में घोषणा-पत्र।

(5) इस संबंध में घोषणा-पत्र की आयात की जाने वाली मशीनरी का उपयोग उस अंतिम उत्पाद (दों) के लिए किया जाएगा जिस आवेदक को लाइसेंस प्राप्त है या पंजीकृत है या उसे अन्यथा रूप से उत्पादित करने के लिए अनुमति है।

(6) आगामी पांच वर्षों के लिए इसकी कुल बढ़ाई गई क्षमता का 20% से ज्यादा के वार्षिक निर्यात को कायम रखने के लिए एक वचन पत्र/जहां पर औद्योगिक संस्थान को 20 प्रतिशत से अधिक के प्रारम्भिक निर्यात आभार के साथ लाइसेंस प्रदान किया गया है तो वचन-पत्र में इसका उल्लेख होना चाहिये कि निर्यात को उच्च स्तर को बनाए रखा जायेगा। इस बात का भी संकेत किया जाना चाहिये कि क्या पार्टी आगामी निर्यात आभारों को पूरा करने के लिए बैंक गारंटी के साथ एक बांड या कनूनी करार निस्पादित करेगी।

(7) इस बात की सूचना दी जाए कि क्या आवेदक आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० सी०, आई० एफ०, सी० आई०, और या राज्य वित्त निगमों जैसी किसी एक वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में ऋण लेने की सुविधा प्राप्त करना चाहता है। उक्त इस प्रकार की संस्थानों ने ऐसे करारों का पहले ही अनुमोदन कर दिया है तो अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए।

5. उन मदों के आयात की अनुमति जो सामान्यत: इस वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत अनुमेय नहीं हैं, इस उदार नीति के अन्तर्गत दी जाएगी। आवेदक पत्रों पर विचार या तो स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा के ऋण/वित्त संस्थाओं से उप-आवंटन या द्विपक्षीय साखों के मुद्दे किया जाएगा। इन आवेदनपत्रों पर विचार करते समय देशी उपलब्धता पूंजीगत माल समिति निकासी के दृष्टिकोण से क्रिया विधि की संवीक्षा को छोड़ दिया जाएगा।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार से आयातित पूंजीगत माल को वास्तव में औद्योगिक संस्थान में लगाना आवश्यक होगा और किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित नहीं करना होगा।

7. व्यापारी की सूचना के लिये यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यदि कोई हो तो एक वर्ष में एक करोड़ रुपये निर्धारित सीमा से अधिक होने पर भी पूंजीगत माल के आयात के लिए इस प्रकार के निर्यात अभिमुखी उद्योग एककों की शेष जरूरतों पर विचार अब तक जिस तरह किया जाता रहा है, वर्तमान आयात नीति की शर्तों के अनुसार विचार किया जाता रहेगा।

8. आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक, क्रियाविधि 1976–77 के अध्याय 6 से 8 में निहित वर्तमान व्यवस्थाओं को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

SUBJECT.—*Facilities for the import of machinery and machine tools detailed in Appendix 80 of the Red Book (Vol. I).*

No. 115/ITC(PN)/76.—Appendix 80 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1976—March 1977, contains list of machine tools and machinery—general, in respect of which it is not necessary to follow the advertisement procedure, while making applications for import thereof. It has now been decided that import of these items will be licensed directly by Chief Controller of Imports & Exports without going through the procedure of indigenous clearance and reference to Capital Goods Committee.

2. The procedure to be followed for submission of applications for the import of machine tools and machinery under this liberalised policy will be as follows:

Intending applicants should submit applications to the Chief Controller of Imports and Exports (Capital Goods Cell), Udyog Bhavan, New Delhi in the form and with the enclosures prescribed for application for import of capital goods, that is, in form 'E' (CG), giving all the required information/documents. In addition, the following information should be given :—

(i) Full details of the goods to be imported including the origin of goods. If a number of items are to be imported, a detailed list (7 copies) should be attached.

(ii) Information may be given whether the applicant desires to avail of the foreign exchange loan facilities from one of the term financial institutions *viz.* IDBI, ICICI, IFCI and/or the State Financial Corporation. If such institutions have already approved of such arrangement, a copy of the approval may be attached.

3. Applications will be considered either against free foreign exchange, foreign exchange loans/sub-allocations from term financial institution or bilateral credits. In considering these applications, the procedure of scrutiny from the angle of indigenous availability and clearance of Capital Goods Committee will be dispensed with.

4. It is clarified that the capital goods so imported would be required to be actually installed in the industrial undertaking and will not be transferred to other parties.

5. The existing provisions contained in Chapters VI to VIII of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1976-77 may be deemed to have been amended accordingly.

विषय.—रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट 80 में उल्लिखित मशीनरी और मशीन औजारों के आयात के लिए सुविधायें।

संख्या 115-आई टी सी (पी एन)/76.—अप्रैल, 1976—मार्च, 1977 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०-1) के परिशिष्ट 80 में मशीन औजारों और सामान्य मशीनरी की सूची निहित है, जिनके बारे में यह आवश्यक नहीं है कि उनके आयात के लिये आवेदन-पत्र भेजते समय विज्ञापन क्रिया विधि का पालन किया जाए। अब यह निश्चय किया गया है कि इन मदों का आयात देशी निकासी की क्रिया विधि को अपनाए बिना और पूंजीगत माल समिति को भेजे बिना सीधे ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अनुज्ञप्त होगा।

2. इस उदार नीति के अन्तर्गत मशीन औजारों और मशीनरी के आयात के लिये आवेदन भेजने के लिये अपनाई जानी वाली क्रिया विधि इस प्रकार होगी :—

इच्छुक आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदन पत्र पूंजीगत माल के आयात के लिये आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक के साथ अर्थात् प्रपत्र "ई" (पूंजीगत माल) में सभी अपेक्षित सूचना/प्रलेख देते हुये मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (पूंजीगत माल सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली को करें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी भेजे जाने चाहिये :—

(1) माल के उद्गम के साथ आयात किए जाने वाले माल का पूर्ण ब्यौरा। यदि बहुत सी मदों का आयात किया जाता है तो एक विस्तृत सूची (7 प्रतियों में) संलग्न की जानी चाहिये।

(2) इस बात की सूचना दी जाए कि क्या आवेदक आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और/या किसी भी मुद्रा में ऋण लेने की सुविधा प्राप्त करना चाहता है। यदि इस प्रकार के संस्थानों ने ऐसे करारों का पहले ही अनुमोदन कर दिया है तो अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए।

3. आवेदक पत्रों पर विचार या तो स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा के ऋण/वित्त संस्थाओं से उप-आवंटन या द्विपक्षीय खातों के मद्दे किया जाएगा। इन आवेदन पत्रों पर विचार करते समय देशी उपलब्धता एवं पूंजीगत माल समिति की निकासी के दृष्टिकोण से क्रिया विधि की संवीक्षा को छोड़ दिया जाएगा।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार से आयातित पूंजीगत माल को वास्तव में औद्योगिक संस्थान में लगाना आवश्यक होगा और किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित नहीं करना होगा।

5. आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रिया विधि हैंड बुक 1976-77 के अध्याय 6 से 8 मे निहित व्यवस्थाओं को तदनुसार संशोधित कर दिया गया समझा जाए ।

SUBJECT.—*Liberalisation in import of capital equipment.*

No. 116/ITC(PN)/76.—Attention is invited to the Press Note dated 30th September 1976 issued by the Ministry of Industry, announcing Government's decision regarding liberalisation of policy regarding import of capital goods. It has been decided that entrepreneurs who intend to set up new industrial capacity (including expansion of the existing capacity) will be permitted to import freely capital equipment upto the value of 10 per cent of equipment procured indigenously, subject to a ceiling of Rs. 1 crore.

2. The procedure to be followed for submission of applications for import of capital equipment under this liberalised policy will be as follows:

Intending applicants should submit applications to the Chief Controller of Imports and Exports (C. G. Cell), Udyog Bhavan, New Delhi, in the form and with the enclosures prescribed for applications for import of capital goods, that is to say, in Form 'E' (CG), giving all the required information/documents. In addition, the following information should be given:—

(i) Full details of the goods to be imported including origin of goods. If a number of items are to be imported, a detailed list (7 copies) should be attached.

(ii) In cases where a State level or an all-India financial institution has been approached for loan or other assistance, a certificate by that financial institution indicating the value of equipment which is likely to be procured from indigenous sources for the establishment of new industrial capacity (including expansion of the existing capacity) should be furnished.

(iii) Where no loan or assistance is sought from a financial institution but import is to be financed out of the applicant's own resources, a certificate from the applicant's bank of having placed orders for machinery and of having opened irrevocable letters of credit through the bank on the indigenous suppliers, should be furnished.

3. Import of items which are not normally permissible under the existing import policy, will be allowed under this liberalised policy. Applications will be considered either against free foreign exchange or against bilateral credits as may be appropriate in each case. In case where a foreign exchange line of credit is available with a financial institution, and that financial institution certifies that they would provide necessary foreign exchange out of their line of credits, an import licence will be issued against the foreign exchange available with financial institutions. In considering these applications, the procedures of scrutiny from the angle of indigenous availability and clearance of Capital Goods Committee will be dispensed with.

4. It is clarified that the capital goods so imported would be required to be actually installed in the industrial undertaking and will not be transferred to other parties.

5. It is also notified for the information of the trade that the balance requirements of entrepreneurs for the import of capital equipment in excess of the above-said value *i.e.* equal to 10 per cent of the value of indigenous machinery, will continue to be considered, as hitherto, in terms of the existing import policy.

6. The existing provisions contained in Chapters VI to VIII of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1976-77 may be deemed to have been amended accordingly.

विषय.—पूंजीगत उपस्कर के आयात में उदारता बरतना

संख्या 116-आई टी सी (पी एन)/76.—उद्योग मंत्रालय द्वारा 30 सितम्बर, 1976 को जारी किए गए प्रेस नोट की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें पूंजीगत माल के आयात से संबंधी नीति में ढील देने के संबंध में सरकार के निर्णयों की घोषणा की गई थी। यह निश्चय किया गया है कि वे उद्यमी जो नयी औद्योगिक क्षमता स्थापित करना चाहते हैं (जिसमें वर्तमान क्षमता का विस्तार भी शामिल है), उन्हें देशी साधनों से उपलब्ध उपस्कर के दस प्रतिशत मूल्य तक पूंजीगत उपस्कर के स्वतंत्र आयात की स्वीकृति दी जाएगी, इसकी उच्चतम सीमा एक करोड़ रुपए है ।

2. इस उदार नीति के अन्तर्गत पूंजीगत उपस्कर के आयात के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया-विधि निम्न प्रकार से होगी—

इच्छुक आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदन-पत्र पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक के साथ अर्थात् प्रपत्र "ई" (पूंजीगत माल) में सभी अपेक्षित सूचना/प्रलेख देते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (पूंजीगत माल सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली को करें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी भेजे जाने चाहिए :—

(i) माल के उद्गम के साथ आयात किए जाने वाले माल का पूर्ण ब्यौरा यदि बहुत सी मदों का आयात किया जाना है तो एक विस्तृत सूची (7 प्रतियों में) संलग्न की जानी चाहिए।

(ii) उन मामलों में जहां पर राज्य स्तर की या अखिल भारतीय वित्त सस्था ने ऋण के लिये या अन्य सहायता के लिए सम्पर्क स्थापित किया है तो उस वित्त सस्थान के द्वारा एक प्रमाण-पत्र भेजा जाना चाहिए और उसमें उपस्कर के उस मूल्य का संकेत होना चाहिए जिसे संभवतः नयी उद्योग क्षमता (जिसमें वर्तमान क्षमता का विस्तार भी शामिल है) की स्थापना के लिए देशी साधनों से अधिप्राप्त करना है।

(iii) जहां पर वित्तीय सस्था से ऋण या सहायता की मांग नहीं की जाती है बल्कि आवेदक के अपने खुद के साधनों से आयात को वित्त युक्त किया जाता है तो आवेदक के बैंक से एक प्रमाण-पत्र इस सबंध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि मशीनरी के लिए आदेश दे दिया गया है और देशी संभरकों के लिए बैंक के माध्यम से अपरिवर्तनीय साख-पत्र की स्थापना हो गई है।

3. उन मदों का आयात जो सामान्यतः वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत अनुमेय नहीं है, इस उदार नीति के अन्तर्गत उनके आयात की स्वीकृति दी जाएगी। आवेदन-पत्रों पर विचार या तो स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के मद्दे या द्विपक्षीय साखों के मद्दे जो प्रत्येक मामले में उपयुक्त हो सकता है, किया जाएगा। उन मामलों में जहा ऋण की विदेशी मुद्रा का साधन वित्तीय संस्था के साथ उपलब्ध है और जहां कि वित्तीय संस्था यह प्रमाणित करती है कि वे ऋण के अपने साधनों से ही आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रदान करेंगे तो वित्तीय संस्थाओं के साथ उपलब्ध विदेशी मुद्रा के मद्दे आयात लाइसेंस जारी किया जाएगा। इन आवेदन पत्रों पर विचार करते समय देशीय उपलब्धता और पूंजीगत माल सीमित की निकासी के दृष्टिकोण से क्रिया विधि की समीक्षा को अलग रखा जाएगा।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार से आयातित पूंजीगत माल को वास्तव में औद्योगिक संस्थान में लगाना आवश्यक होगा और किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित नहीं करना होगा।

5. व्यापारी की सूचना के लिये यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मूल्य अर्थात् देशी मशीनरी के मूल्य के दस प्रतिशत मूल्य के बराबर से ज्यादा का पूंजीगत उपस्कर आयात करने के लिए उद्यमियों के शेष आवश्यकताओं पर वर्तमान आयात नीति की शर्तों के अनुसार उसी तरह विचार करना जारी रखा जाएगा जैसा कि अब तक किया जा रहा है।

6. आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक, क्रियाविधि, 1976-77 के अध्याय 6 से 8 में निहित वर्तमान व्यवस्थाओं को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

SUBJECT—*Import of capital goods by D.G.T.D. Units.*

No. 117/ITC(PN)/76.—Attention is invited to the provisions contained in para 131(3) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedures 1976-77 in

terms of which applications for a value below Rs. 10 lakhs for imports from countries other than rupee payment countries or below Rs. 20 lakhs for imports from rupee payment countries are required to be made direct to the Chief Controller of Imports and Exports (Capital Goods Cell), Udyog Bhavan, New Delhi.

2. It has now been decided that with immediate effect all applications for import of capital goods by D.G.T.D. Units for a value not exceeding Rs. 25,000/- for import from countries other than rupee payment countries and U.K. and upto Rs. 50,000/- for import from rupee payment countries and U.K. should be made direct to the regional licensing authorities concerned, under whose jurisdiction the applicant unit is located. Such applications will be considered by the regional licensing authorities without reference to D.G.T.D. with regard to the essentiality angle, but import will be allowed only of such items as are permissible in terms of the Import Trade Control Policy. This will mean that for purposes of licensing of import of capital goods within these limits, the procedure that the applicants have to adopt and the powers of the regional licensing authorities would be the same for D.G.T.D. Units as well as for S.S.I. Units.

3. The existing provisions contained in para No. 131(3) of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1976-77 may be deemed to have been amended accordingly.

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—महा-निदेशक तकनीकि विकास के एककों द्वारा पूंजीगत माल का आयात

संख्या 117-आई टी सी (पी एन)/76.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रिया विधि हैंड बुक 1976-77 के पैरा 131(3) में निहित व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार रुपए में भुगतान किए जाने वाले देशों से भिन्न देशों से 10 लाख रुपए से कम के मूल्य के आयात के लिए या रुपए में भुगतान किए जाने वाले देशों से 20 लाख रुपए से कम के आयात के लिए आवेदन-पत्र सीधे ही मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (पूंजीगत माल सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजने अपेक्षित हैं।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि तत्काल से ही रुपए में भुगतान किए जाने वाले देशों और यू० के० से 25000 रुपए तक के मूल्य का आयात करने के लिए और रुपए में भुगतान किए जाने वाले देशों और यू० के० से 50,000 रुपए तक आयात करने के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए सभी आवेदन-पत्र महा-निदेशक तकनीकी विकास के एककों द्वारा सभी आवेदन-पत्र संबंधित उन क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं जिनके क्षेत्राधिकार में आवेदक स्थित हैं। ऐसे आवेदन-पत्रों पर क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्यता के दृष्टिकोण से महानिदेशक तकनीकी विकास को भेजे बिना ही विचार किया जाएगा, किन्तु ऐसी मदों का आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार स्वीकार्य होगा। इसका तात्पर्य यह है कि इन सीमाओं के भीतर पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस देने के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रिया विधि और क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों के अधिकार महानिदेशक तकनीकी विकास के एककों के साथ-साथ लघु उद्योग एककों के लिए एक ही समान होंगे।

3. आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक क्रियाविधि 1976-77 के पैरा 131(3) में निहित वर्तमान व्यवस्थाओं को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976